I.T.E.

TO BE PUBLESHED IN PART II SECTION 3(ii) GAZETTE OF INDIA

Government of India
Central Board of Direct Taxes

....

New Delhi, dated 10-4-84

NOTIFICATION
(Income-tax)

No. 5754 (F.No.261/22/83-ITJ): In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) and in modification of its Notification No.5446(F.No.261/22/83-ITJ) dated 3-11-83, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the CIT (Appeals)-XV, Calcutta shall perform his functions in respect of such persons assessed to Income-tax or Sur-tax or Interest-tax in the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in Column 2 and Column 3 thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in Clauses (a) to (h) of Sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961, in sub-section (1) of Section 11 of the Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964) and in sub-section (1) of Section 15 of the Interest-tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

Charges with Headquarters	Income-tax Wards and Circles	Ranges of I.A.C.
C.I.T.(A)-XV, Calcutta.	1. Spl.Inv.Cir.-III	2. I.A.C.Spl.Inv. Range-III
	2. Foreign Companies Circle-I	2. Foreign Companies Range-I
	3. Foreign Companies Circles-II	3. Foreign Companies Range-II
	4. Special Circle-IX	4. I.A.C. Spl. Range-IX

Whereas an Income-tax Circle, Ward or District or Range or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to another charge, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or Range or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the CIT(A) of the charge from which that Income-tax Circle, District, Ward or Range or part thereof is transferred shall, from the date this Notification

takes effect, be transferred to and dealt with by the CIT(A) of the charge to whom the said Ward, Circle or District of Range or part thereof is transferred.

This Notification shall take affect from 1-12-1983.

(KALYAN CHAND)
Under Secretary

To :

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to :

1. The Commissioner of Income-tax, West Bengal, Calcutta.
2. The Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay.
3. A.D.I. (RS & P) Bulletin, New Delhi.
4. Ad. VI Section/E.D. Section.
5. The Joint Secretary & Legal Adviser, Ministry of Law, Sashtri Bhavan, New Delhi.

(KALYAN CHAND)
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes

भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली दिनांक 10-4-1984

अधिसूचना

(आयकर)

सं0 5754 (फा0सं0 261/22/83-आ0क0न्या0) : आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121क की उप-धारा (1) और दिनांक 3नवम्बर, 1983 की अपनी अधिसूचना सं0 5446 (फा0सं0 261/22/83-आ0क0न्या0) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि आयकर आयुक्त (अपील) -xV, कलकत्ता, अनुसूची के स्तम्भ (2) और (3) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वार्डों, परिमंडलों, जिलों और रेंजों में, आयकर या प्रतिकर या ब्याजकर से निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप-धारा (2) के खंड (क) से (ज) में और ब्याजकर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी आदेश से व्यथित हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति वर्ग की बाबत भी, जिनके लिए बोर्ड ने, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप-धारा (2) के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निदेश दें, अपने कार्य का निर्वहण करेंगे ।

अधिकार-क्षेत्र और प्रधान कार्यालय	आयकर वार्ड और परिमंडल	निरीक्षी सहायक आयुक्त के रेंज
1	2	3
आयकर आयुक्त (अपील)-xV, कलकत्ता	1. विशेष जांच परिमंडल-III	2) नि0स0आ0 विशेष जांच रेंज- III
	2. विदेशी कंपनी परिमंडल-I	2) विदेशी कंपनी रेंज-I
	3. विदेशी कंपनी परिमंडल-II	3) विदेशी कंपनी, रेंज-II
	4. विशेष परिमंडल-Ix	4) नि0स0आ0 विशेष रेंज- Ix

2/-

यतः कोई आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा रेंज अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार-क्षेत्र से किसी अन्य अधिकार-क्षेत्र में अंतरित हो जाता है वहां उस आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा रेंज अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस अधिकार-क्षेत्र के जिससे वह आयकर परिमंडल, वार्ड या जिला या रेंज अथवा उसका कोई भाग अंतरित हुआ हो, आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के तत्काल पहले अनिर्णीत पड़ी अपीलें इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से उस अधिकार-क्षेत्र के आयकर आयुक्त (अपील) को अंतरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी जिसको उक्त वार्ड, परिमंडल या जिला या रेंज अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया है ।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1983 से लागू होगी ।

(कल्याण चन्द)
अवर सचिव

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
आबादपुरी, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि ओ०जी० पाठानुसार प्रेषित ।

* शर्मा *